भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 123

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2023

एमएसएमई का विकास

123. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समग्र विकास के लिए अपनाए गये दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान बिहार में ऐसे उद्योगों के विकास हेतु क्या सहायता प्रदान की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ख): एमएसएमई मंत्रालय, बिहार राज्य सहित देशभर के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों में प्रवृत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के संयंत्र तथा मशीनरी/उपस्कर में निवेश और एमएसएमई के टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के संशोधित मानदंडों को अधिसूचित किया है। संशोधित मानदंडों के आधार पर सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई को औपचारिक बनाने का प्रयास किया है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित और पारदर्शी एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया है। एमएसएमई के पंजीकरण के लिए किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमों के निवेश और टर्नओवर पर पैन और जीएसटी से जुड़े विवरण सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की थी। यूएपी में अब तक 1,02,84,192 आईएमई शामिल हो चुके हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 3,13,51,586 एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें यूएपी पर पंजीकृत आईएमई भी शामिल हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियंस, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत शामिल 18 व्यवसायों में लगे अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

******